

न्यायालय :- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बड़वानी (म.प्र.)
(पीठासीन : समीर कुलश्रेष्ठ)

दीवानी रेगुलर अपील क्र. 11ए/2016

1.	C.I.S. Reg. R.C.A. No.	100020/2015
2.	DATE OF INSTITUTION	27.10.2014
3.	C.N.R. No.	MP4601

(1) शिवकुंवर बाई बेवा स्व. रामू कोली,
आयु- 45 वर्ष, व्यवसाय- काश्त,
निवासी- ठीकरी, जिला- बड़वानी (म.प्र.)।

(2) सुकदेव पिता रामू कोली,
आयु- 30 वर्ष, व्यवसाय- काश्त,
निवासी- ठीकरी, जिला- बड़वानी (म.प्र.)।

(3) नमाबाई पिता रामू कोली,
आयु- 32 वर्ष, व्यवसाय- गृहकार्य,
निवासी- ठीकरी, जिला- बड़वानी (म.प्र.)।
हाल निवासी- इंदौर (म.प्र.)।

— — — अपीलार्थीगण

विरुद्ध

(1) पूनीबाई पति सद्दू कोली,
आयु- 80 वर्ष, व्यवसाय- गृहकार्य,
निवासी- केरवा, तहसील- ठीकरी,
जिला- बड़वानी (म.प्र.)।

(2) रामकी बाई पिता बाल्या कोली,
आयु- 45 वर्ष, व्यवसाय- गृहकार्य,
निवासी- ठीकरी जिला- बड़वानी (म.प्र.)।

(3) करण सिंह पिता बाल्या कोली,
आयु- 45 वर्ष, व्यवसाय- काश्त,
निवासी- ठीकरी जिला- बड़वानी (म.प्र.)।

(4) म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,
जिला- बड़वानी (म.प्र.)।

— — — प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थीगण द्वारा अधिवक्ता :- श्री सैफी शाद।

प्रत्यर्थीगण द्वारा अधिवक्ता :- श्री ऋषभ एन. दोषी।

(आदेश)

{ आज दिनांक 18.09.2017 को घोषित }

(1) इस आदेश के द्वारा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश-39 नियम-1 व 2 सपठित धारा-151 व्य.प्र.सं. वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा का निराकरण किया जा रहा है।

(2) आवेदन पत्र संक्षेप में यह है, कि उभयपक्ष के पूर्वज स्व. बाल्या ने हिन्दु संयुक्त परिवार के कर्ता नाते करीब 20 वर्ष पहले अपने दोनों पुत्रों एवं स्वयं के मध्य वाद पत्र की कण्डिका-2 में वर्णित संपत्ति का मौखिक बंटवारा कर दिया था, तब से वे अपने हिस्से में आई संपत्ति पर काबिज हैं। अपीलार्थीगण/आवेदकगण का अभिवचन है, कि उनके पिता स्व. रामू के हिस्से में ग्राम शेरपुरा तहसील ठीकरी खसरा नं. 4 की 3.112 हैक्टेयर भूमि में से पूर्व तरफ की आधी कृषि भूमि रकवा 1.556 हैक्टेयर भूमि, ग्राम पीपरी तहसील ठीकरी स्थित खसरा नं. 156 की 3.035 भूमि में से 1.161 हैक्टेयर भूमि पश्चिम तरफ की ग्राम पीपरी स्थित मकान का पूर्व तरफ का आधा 3 चश्मा मकान एवं ग्राम पीपरी स्थित बाड़ा आधा उत्तर तरफ का आया था, स्व. बाल्या द्वारा अपने हिस्से में आई ग्राम पीपरी की कृषि भूमि वर्ष 1995 में विक्रय कर दी थी तथा अपीलार्थीगण ने ग्राम ठीकरी में अपने हिस्से का मकान भी सोनाबाई को विक्रय कर दिया है। आवेदकगण का कथन रहा है, कि प्रत्यर्थी क.1/वादी पूनीबाई द्वारा दाविया कृषि भूमियों में 1/2 बंटवारे की मांग राजस्व न्यायालय के अंतर्गत की गई थी, जिसमें 13.04.2000 को शेरपुरा की कृषि भूमियों में से आधा हिस्सा उसे दिए जाने का आदेश किया गया, जिसके विरुद्ध अपील में उक्त राजस्व प्रकरण प्रत्यावर्तित हुआ, पुनः तहसीलदार ठीकरी द्वारा वर्ष 2004 में वादी पूनीबाई को उक्त शेरपुरा की भूमि का आधा हिस्सा देने हेतु आदेशित किया गया, जिसके विरुद्ध भी अपीलार्थीगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बड़वानी के समक्ष की गई अपील वर्ष 2005 में निरस्त हुई, तब अपर कमिशनर इंदौर संभाग के यहाँ अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसकी लंबित अवस्था में दिनांक 08.12.2004 को तहसीलदार ठीकरी द्वारा शेरपुरा की पूर्व तरफ की आधी कृषि भूमि का आधिपत्य वादी पूनीबाई को दिला दिया गया।

(3) आवेदकगण/अपीलार्थीगण ने आगे अभिवचन किया है, कि अपर कमिशनर के यहाँ उनकी द्वितीय अपील वर्ष 2007 में स्वीकार करते हुए, पुनः प्रकरण निराकरण हेतु तहसीलदार ठीकरी को प्रत्यावर्तित किया गया। पुनः राजस्व विभाग द्वारा दाविया स्थान के संबंध में रिकॉर्ड में पूर्व स्थिति में उसे लाया गया, पूनीबाई द्वारा तहसील न्यायालय का अंतिम निर्णय लाने के पहले ही अपीलार्थीगण से झगड़ा फसाद कर, उसे बे-दखल करने का प्रयास किया गया, पुलिस में रिपोर्ट भी दोनों तरफ से की गई, तब तहसीलदार द्वारा पुलिस को यह निर्देशित किया गया था, कि प्रत्यर्थी क.1/वादी पूनीबाई द्वारा जबरन कब्जा करने के प्रयास के संबंध में कानून व्यवस्था कायम करें, उसके बावजूद भी उक्त पूनीबाई एवं उसके सहयोगी अपीलार्थीगण को उनके कब्जे की जमीन से बे-दखल करने पर आमादा हैं तथा उसे हड़पना चाहते हैं। विचारण न्यायालय में वादी पूनीबाई द्वारा प्रस्तुत दावे में अपीलार्थीगण द्वारा भी प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया था, जो निरस्त कर दिया गया है। जयपत्र की आड़ में प्रत्यर्थी पूनीबाई अपीलार्थीगण को उनके हिस्से एवं बंटवारे में आई कृषि भूमि से बलपूर्वक बे-दखल करने की योजना बना रहे हैं, ऐसी दशा में अपील प्रकरण के निराकरण तक प्रत्यर्थी क.1 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जो कि ग्राम शेरपुरा तहसील ठीकरी स्थित भूमि खसरा नं.4 रकवा 3.112 हैक्टेयर में से पूर्व तरफ की आधी भूमि रकवा 1.566 हैक्टेयर एवं ग्राम पीपरी तहसील ठीकरी स्थित भूमि खसरा नं.156 रकवा 1.161

हैक्टेयर तथा ग्राम पीपरी स्थित बाड़ा आधा उत्तर तरफ का, में अपीलार्थीगण के शांतिपूर्ण आधिपत्य में स्वयं अथवा अन्य के माध्यम से बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा अंतरण संबंधी व्यवहार भी न करें।

(4) अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन पत्र अपीलार्थीगण द्वारा शपथ पत्र से समर्थित किया जाना प्रकट है।

(5) प्रत्यर्थी क.1 की ओर से उक्त आवेदन पत्र का कोई लिखित जवाब नहीं देते हुए, तर्क के दौरान व्यक्त किया है, कि ग्राम शेरपुरा की आवेदन पत्र में वर्णित भूमि वर्ष 2016 में प्रत्यर्थी क.1 के द्वारा दिनांक 24.06.2016 को विधिवत् विक्रय की जा चुकी है, ऐसी दशा में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन पत्र स्वयं ही प्रभावहीन होने से निरस्ती योग्य है।

(6) शेष प्रत्यर्थीगण क्रमांक 2 से 4 की अनुपस्थितिवाश उनके विरुद्ध कार्यवाही एक पक्षीय होने से, उनकी ओर से कोई जवाब अभिलेख पर नहीं है।

(7) अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन पत्र के निराकरण हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु प्रकरण प्रथम दृष्ट्या, सुविधा का संतुलन एवं अपरिमित क्षति के संदर्भ में विवेचन अपेक्षित है।

(8) मूल अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है, कि प्रत्यर्थी क.1 पूनीबाई द्वारा प्रस्तुत वाद वास्ते वादग्रस्त संपत्ति में स्वत्व की उद्घोषणा, विभाजन एवं आधिपत्य प्राप्ति वास्ते प्रस्तुत किया था, जो विचारण न्यायालय द्वारा ग्राम शेरपुरा एवं ग्राम पीपरी की वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमियों का एवं ग्राम पीपरी स्थित मकान एवं बाड़े पर प्रत्यर्थी/वादी का आधा स्वत्व मानते हुए, सक्षम राजस्व न्यायालय से विभाजन कराकर, पृथक आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी पाते हुए, उसके पक्ष में प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है। अपीलार्थीगण की ओर से वर्तमान अपील लंबन के दौरान प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश-1 नियम 10 सपठित धारा-151 व्य.प्र.सं. से संलग्न विक्रय पत्र की सत्यप्रति के अवलोकन से स्पष्ट प्रकट है, कि ग्राम शेरपुरा स्थित पटवारी हल्का नं. 9 खसरा नं. 4/2 रकवा 1. 556 हैक्टेयर की भूमि प्रत्यर्थी क.1 पूनीबाई द्वारा क्रेतागण जितेंद्र एवं गौरीशंकर कुमावत को दिनांक 24.06.2016 को विक्रय की जा चुकी है, जिसकी स्वीकारोक्ति तर्क के दौरान प्रत्यर्थी क.1 की ओर से भी किया जाना प्रकट है।

(9) वर्तमान आवेदन पत्र अपीलार्थीगण द्वारा दाविया कृषि भूमियों पर उनके आधिपत्य में प्रत्यर्थी क.1 अथवा उसकी ओर से किसी अन्य द्वारा कोई दखल नहीं देने अथवा अन्य संक्रान्त नहीं करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

(10) जहाँ तक अपीलार्थीगण के पक्ष में मामला प्रथम दृष्ट्या होने का संबंध है, तद्विषय में इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि प्रत्यर्थी क.1 को वर्तमान अपील के लंबित होने की पूर्ण जानकारी रही है तथा उसके द्वारा

उसके बावजूद वादग्रस्त शेरपुरा की भूमि का आधा भाग जयपत्र अनुसार अन्यत्र विक्रय भी कर दिया गया है। यहाँ उक्त विक्रीत भूमि के विषय में यद्यपि क्रेतागण के विरुद्ध कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। तथापि डिक्रीत अन्य विवादित संपत्तियों के संबंध में निश्चित रूप से मामला प्रथम दृष्टया अपीलार्थीगण के पक्ष में होना प्रकट है। इस प्रकार कहा जा सकता है, कि अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन पत्र के निराकरण हेतु महत्वपूर्ण बिंदु प्रकरण प्रथम दृष्टया आंशिक रूप से ही अपीलार्थीगण/आवेदकगण के पक्ष में है।

(11) जहाँ तक सुविधा का संतुलन एवं अपरिमित क्षति का प्रश्न है, तो चूँकि ग्राम शेरपुरा की प्रत्यर्थी क.1 के पक्ष में जयपत्रित भूमि वर्ष 2016 में विक्रय किया जाना प्रकट है, ऐसी दशा में उक्त भूमि के क्रेतागण के संदर्भ में उन्हें असुविधा होना स्वाभाविक है, तथापि अन्य जयपत्रित संपत्ति के संबंध में निश्चित रूप से यदि अपील लंबन के दौरान भविष्य में प्रत्यर्थी क.1 द्वारा स्वयं अथवा अन्य के माध्यम से ग्राम पीपरी की कृषि भूमि, मकान एवं बाड़ा को अन्य संक्रान्त किया गया अथवा कराया गया, तो निश्चित रूप से अपीलार्थीगण को असुविधा का ही सामना करना पड़ेगा तथा उन्हें मानसिक क्लेश भी उद्भूत होगा, जिसकी भरपाई द्रव्य में नहीं की जा सकती तथा उन्हें अपरिमित क्षति उठानी होगी, ऐसी दशाओं में प्रत्यर्थी क.1 के हक में जयपत्रित उक्त ग्राम शेरपुरा की विक्रीत कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य जयपत्रित संपत्ति, जो कि ग्राम पीपरी तहसील ठीकरी में स्थित होना प्रकट है, के संबंध में सुविधा का संतुलन एवं अपरिमित क्षति के बिंदु भी आवेदकगण/अपीलार्थीगण के पक्ष में पाए जाते हैं।

(12) इस प्रकार अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन पत्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपरिमित क्षति के बिंदु अपीलार्थीगण के पक्ष में अंशतः पाए जाने से वर्तमान आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश-39, नियम-1 व 2 सपठित धारा-151 व्य.प्र.सं. आलोच्य निर्णय में जयपत्रित ग्राम शेरपुरा की वादग्रस्त भूमि में से विक्रीत भूमि को छोड़कर शेष संपत्ति जयपत्रित संपत्ति के संदर्भ मात्र में **अंशतः स्वीकार** किया जाता है। प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाता है, कि जयपत्र में वर्णित शेरपुरा की विक्रीत भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि ग्राम पीपरी स्थित खसरा नं. 156 रकवा 3.035 हैक्टेयर पैकी रकवा 1.161 हैक्टेयर पश्चिम तरफ की एवं ग्राम पीपरी स्थित बाड़ा आधा उत्तर तरफ का, में अपीलार्थीगण के आधिपत्य में स्वयं एवं अन्य के माध्यम से इस अपील प्रकरण के निराकरण तक कोई बाधा/व्यवधान उद्भूत न करें और न ही उसे अन्य संक्रान्त संबंधी कोई कार्यवाही करें।

(13) व्यय तालिका तैयार हो।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
उद्घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(समीर कुलश्रेष्ठ)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बड़वानी

(समीर कुलश्रेष्ठ)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बड़वानी